रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 490] नई दिल्ली बुधवार, सितम्बर 22, 1971/भाद्र 31, 1893

No. 490] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 22, 1971/BHADRA 31, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

(Department of Labour and Employment)

ORDERS

New Delhi, the 22nd September 1971

S.O. 3550.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Messrs Western Bengal Coal Fields Limited, Khetri Copper Project, Khetri Nagar and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10, of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri Gopal Narain Sharma shall be the Presiding Officer, with headquarters at Jaipur and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the wage rates prevailing in Messrs Western Bengal Coal Fields Limited, Khetri Copper Project, field allowance and fire-wood allowance paid to their workmen need any revision? If so, with what details?"

[No. L-29011/36/71-LR-IV.]

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम और रोजगार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 1971

का० आ० 3550.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स वैस्टर्न बंगाल कोल फील्ड्स लिमिटेड, खेत्री कॉपर प्रॉजैक्ट, खेत्री नगर के प्रबन्धक स सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री गोपाल नारायण शर्मा होंगे, जिनका मुख्यालय जयपुर होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्याय-निर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

"क्या मैसर्स वैस्टर्न, बंगाल कोल फील्ड्स लिमिटेड, खेत्री कॉपर प्रॉजैक्ट में प्रचलित मजदूरी-दरों, उनके कर्मकारों को दिए जाने वाले क्षेत्र-कार्य भत्ते और ईंधन भत्ते में किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता है ? यदि हां, तो किन ब्यौरों के साथ ?"

[संख्या एल-29011/36/71-एल० आर० 4]

S.O. 3551.—Whereas by an order of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. L-29011/36/71-LR-IV, dated the 22nd September, 1971, an industrial dispute between the employers in relation to the management of Messrs Western Bengal Coal Fields Limited, Khetri Copper Project, Khetri Nagar and their workmen has been referred to the Industrial Tribunal, Jaipur, for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section (3) of the section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby prohibits the continuance of the strike in existence in the said establishment in connection with the said dispute.

[No. L-29011/36/71-LR-IV.]

R. KUNJITHAPADAM, Under Secy.

का० आ० 3551.—यतः भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) के आदेश संख्या एल-29011/36/71-एल०आर०-4 तारीख 22 सितम्बर, 1971 द्वारा मैसर्स वैस्टर्न बंगाल कोल फील्डस् लिमिटेड, खेत्री कॉपर प्रॉजैक्ट, खेत्री नगर के प्रबन्धक से सम्बद्ध

नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद औद्योगिक अधिकरण, जयपुर को न्याय-निर्णयन के लिए निर्दिष्ट किया गया है;

अतः, अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त स्थापना में उक्त विवाद के सम्बन्ध में विद्यमान हड़ताल के जारी रखने को एतद्द्वारा प्रतिषिद्ध करती है।

[संख्या एल० 290/11/36/71-एल० आर० 4]

आर० कुंजीथापदम, अवर सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971